

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
12/91/2018

प्रवेश तिथि
12-06-2018

निर्णय दिनांक
16-01-2019

01-श्योजी पुत्र चन्द्रू जाति बैरवा निवासी ग्राम कलसाड़ा, तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज।
अपीलाण्ट

बनाम

01-तहसीलदार मालाखेड़ा, जिला अलवर

रेस्पौडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार मालाखेड़ा
दिनांक 29.09.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 36/2017

उपस्थित:-

01-श्री कैलाश चन्द शर्मा

-वकील अपीलाण्ट

-:निर्णय:-

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेड़ा के आदेश दिनांक 29.09.2017 जिसके द्वारा अपीलाण्ट को ग्राम कलसाड़ा की किरम बारानी 3 भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1401/0.07 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्जे सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम कलसाड़ा की किरम बारानी 3 भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1401/0.07 है0 पर अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने लगान से दण्डित किया। अपीलाण्ट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलाण्ट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को पैनल्टी से मुक्त किया जावे।


सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलाण्ट ने आदेश दिनांक 29.09.2017 के विरुद्ध दिनांक 12.06.2018 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त नहीं है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रा0पत्र दिनांक 12.06.2018 का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा कब्जा नहीं होना बताया गया है तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने का निवेदन किया है।

पत्रावली का परीक्षण किया गया। जिससे जाहिर होता है कि तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा छपे-छपाये साईक्लोस्टाईल प्रोफॉर्मा में आदेश जारी किये गये है। जिससे यह प्रतीत होता है कि आदेश जारी करते समय विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है तथा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट तहसीलदार मालाखेड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलार्थी का सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे। निर्णय आज दिनांक 16-01-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(अपीलाण्ट)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)